

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Rest House, Kishorpur Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

समुवसं/2025-26/ 3067

दिनांक: 30/04/25

मुख्य वन संरक्षक
नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
PROPOSAL NO. (FP/RJ/ROAD/6979/2023)

संदर्भ:- उप वन संरक्षक, बारां का पत्रांक 3094 दिनांक 25.04.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 823 दिनांक 15.02.2018 में उल्लेखित बिन्दुओं की वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2979 दिनांक 11.04.2028 (प्रति संलग्न) द्वारा पूर्व में भिजवाई जा चुकी है। प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा विलम्ब नहीं किया गया है।

अतः MOEF के पत्र दिनांक 30.10.2024 एवं आपके पत्र क्रमांक 3693 दिनांक 13.12.2024 के क्रम में उप वन संरक्षक, बारां से प्राप्त समस्त रिपोर्ट पुनः सुलभ संदर्भ हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीया,


(सोनल जोरिहार)

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024 -25/ 3094 दिनांक 25-04-2025
निमित्त -

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय -कोटा से धारनावदा सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।

Proposal no.FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558ha)

संदर्भ- आपका पत्र क्रमांक 2694 दिनांक 15.04.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्रों से चाही गई रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्रम सं	अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर द्वारा लगाये गये आक्षेप के पत्र क्रमांक व दिनांक	संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रेषित आक्षेप पत्र क्रमांक व दिनांक	इस कार्यालय द्वारा संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को आक्षेप की पूर्ति कर भिजवाये गये पत्र क्रमांक व दिनांक	वि.वि
1	MOEF का पत्र क्रमांक 30.10. 2024	आनलाईन ई.डी.एस दिनांक 07.11.2024	13.11.2024	उक्त पत्रों द्वारा दिनांक 15.02.2018 को जारी ई.डी.एस का जवाब चाहा गया था यूजर एजेन्सी से प्राप्त होने के उपरान्त पूर्ण पालना के कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8142 दिनांक 9.04.2018 को पूर्व में भिजवा दिया गया था। तथा संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 29. 79 दिनांक 11.04.2018 को अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर को भिजवाया गया है। उक्त पत्र में विलम्ब का कारण चाहा गया है। अतः इसके क्रम में निवेदन है कि प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा विलम्ब नहीं किया गया है।
2	3693/13.12. 2024	7433/16.12.2024	02.02.2025	दिनांक 02.02.2025 जय ई फाईल के संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा को प्रेषित किया गया है।
3	आनलाईन ई.डी. एस दिनांक 10.04.2025	2694/15.04.2025	25.04.2025	अतः इस कार्यालय द्वारा आक्षेप की पूर्ति कर प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय में अग्रेषित किया गया है। इस कार्यालय द्वारा प्रकरण में विलम्ब नहीं किया है।

रिपोर्ट श्रीमान कि सेवा में प्रेषित है।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024 -25/ 3095

प्रतिलिपि:- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।

दिनांक 25-4-2025

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक
बारां

D/ Kota to Dharanawada Road

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 074538230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024-25/ 3096

दिनांक 24-04-2025

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विशय :- भवरगढ से नाहरगढ सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु।

Proposal no.FP/RJ/Road/40677/2022 (3.893 ha)

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 2084 दिनांक 17.03.2025 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से चाही गयी रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेशित है।

S.N	EDS	Date - 17-03-2025	Reply
1.	बिन्दु संख्या-1 में आप द्वारा बताया गया है कि आपके कार्यालय के रिकार्ड अनुसार प्रस्तावित मार्ग वन क्षेत्र है। परन्तु 1980 से पूर्व का है। जिसका प्रमाण पत्र / साक्ष्य दस्तावेज अपेक्षित है।		प्रस्तावित मार्ग 1980 से पूर्व का बना हुआ है जिसके प्रमाण के फलस्वरूप सत्र 1977 की जी.टी सीट संलग्न कर दी गई है। जिसमें मार्ग का आंकलन किया हुआ है।
2.	बिन्दु संख्या - 2 में केवल वन क्षेत्र में आने वाले खसरे जिसमें चौड़ाई बढ़ानी है (13100 से 17680) कि.मी उसका ही आंकलन किया गया है। स्वीकृति 0/475 से 19/ 00 कि.मी है किन्तु सडक का निर्माण 13/00 से 19/ 00 तक ही किया जावेगा, आप द्वारा किये गये आंकलन रिपोर्ट पत्र के साथ संलग्न नहीं भिजवाई गई है वाछित रिपोर्ट दस्तावेज संलग्न कर भिजवाये।		प्रस्तावित सडक के कि.मी.1300 से 17680 के मध्य 1980 से पूर्व में 7.50 मीटर की चौड़ाई में सडक बनी हुई है। तथा उक्त चौड़ाई में राजस्व रिकार्ड में भी गैर मुमकिन सडक दर्ज है। अतः पूर्व में निमित्त सडक जो कि गैर मुमकिन सडक के नाम से दर्ज है उसे डायवर्जन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। तथा 7.50 मीटर के अतिरिक्त सडक दोनो तरफ 4.25 मीटर चौड़ाई डायवर्जन हेतु वन भूमि का एरिया लिया गया है।
3.	बिन्दु संख्या - 3 वन भूमि का आंकलन आप द्वारा कार्यालय के रिकार्ड अनुसार किया जाना बताया गया है अतः किये गये आंकलन के समस्त दस्तावेज भी इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।		कार्यालय के रिकार्ड अनुसार आंकलन के समस्त दस्तावेज संलग्न कर दिये गये हैं। गजट नोटिफिकेशन व जी.टी शीट संलग्न है।

(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक

बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024-25/ 3097

दिनांक 24-04-2025

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है:-

1.अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज0 जयपुर।

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक
बारां

27/11/2017

अनुसूची ७ (१२) १९८० ए./१४

बनारस, मई ११, १९९४

यूनिट्स के साथ संबंधित अनुसूची में वर्गीकृत वन-भूमि तथा वन-भूमि अथवा उक्त वन-भूमि के अधीन आने वाले जमीन के अधिकारी के प्रकार तथा भीमा की जमीन और उनका आगोशतन राज्यपाल वन अधिनियम, १९४३ (१९४३) के अन्तर्गत अधिनियम संख्या-१३ की धारा १६ की उप-धारा (१) के अधीन जारी की गई विविध के अनुसार में दिया गया है।

अतः जब अनुसूचित अधिनियम की धारा ११ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एनक्वायरी बोर्ड करती है कि कथित अधिनियम के अधिनियम ४ के अनुसार, पूर्वोक्त वन-भूमि और वन-भूमि पर लागू होने को कि एकपरन्तु अधिक वन कहा जा सकता है।

भूमि का विवरण

वन-संरक्षित क्षेत्र

क्रमांक	वर्गीकृत	पट्टी	मोबा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विवरण विवरण
१	२	३	४	५	६
कोय	किशनगंज	—	१. ग्राम भंड गढ़	२६३६.७४	
			२. " बोरादा	२४०५.०६	
			३. " रामनगर उर्फ नवा गांव	२८७.७०	
			४. " गबरौत	१०६४.५३	
			५. " बोरेन	८६.२५	
			योग	६४८९.२८ एकड़	

परिशिष्ट (अ)

वन-संरक्षित क्षेत्र, रेन्ड किशनगंज, किशनगंज जिला का सीमा विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम सं०	स्तम्भ सं० से स्तम्भ सं० तक		पूर्वी सीमा एवं कड़ियों में		दिशा आधारी स्तम्भ उक्त व सीमा रेखा का प्रकार	
	१	२	४	५		
१	१	२	६	३२	दक्षिण-पूर्व-पूर्वी सीमा रेखा	(१२२९)
२	२	३	११	६	"	(११६९)
३	३	४	१२	६७	"	(११०९)
४	४	५	१५	५	उत्तर-पूर्व-पूर्वी	(७२९)
५	५	६	२	७०	"	(७४९)
६	६	७	४	७०	"	(७४९)
७	७	८	१०	७८	"	(७४९)
८	८	९	८	६०	"	(७२९)
९	९	१०	६	८	पूर्व	(६४९)
१०	१०	११	१	१४	दक्षिण-पश्चिम दक्षिणी	(१६४९)
११	११	१२	१२	८४	दक्षिण-पूर्व-दक्षिणी	(१६१९)
१२	१२	१३	११	६७	दक्षिण-पूर्व-पूर्वी	(१०१९)
१३	१३	१४	४	८३	दक्षिण-पूर्व	(१११९)
१४	१४	१५	१२	७०	दक्षिण	(१०६९)
१५	१५	१६	२	७०	दक्षिण-पूर्व-दक्षिणी	(१४६९)
१६	१६	१७	८	६०	दक्षिण-पूर्व	(१२१९)
१७	१७	१८	११	६०		(११२९)
१८	१८	१९	८	८		

AREA CALCULATION

PROPOSAL NO. FP/RJ/ROAD/40677/2019

FOREST KHASARA DETAIL IN PROPOSED ROAD (R/S)

S. NO.	KHASARA NO.	START CH	END CH	REQUIRE			VILLAGE
				Length	Rate	Area	
1	67	13100	13570	470	4.25	1997.5	JAIPURA
2	45	13570	13890	320	4.25	1360	
3	117	13890	14300	410	4.25	1742.5	
4	118	14300	14800	500	4.25	2125	
5	119	14800	15020	220	4.25	935	
6	120	15020	15620	600	4.25	2550	
7	32	15620	15860	240	4.25	1020	NAHARGARH
8	41	15860	16160	300	4.25	1275	
9	40	16160	16560	400	4.25	1700	
10	81	16560	17170	610	4.25	2592.5	
11	80	17170	17680	510	4.25	2167.5	
	TOTAL	13100	17680	4580	4.25	19465	

FOREST KHASARA DETAIL IN PROPOSED ROAD (L/S)

S. NO.	KHASARA NO.	START CH	END CH	REQUIRE			VILLAGE
				Length	Rate	Area	
1	100	13100	13880	780	4.25	3315	JAIPURA
2	115	13880	14310	430	4.25	1827.5	
3	118	14310	14760	450	4.25	1912.5	
4	113	14760	15020	260	4.25	1105	
5	112	15020	15620	600	4.25	2550	
6	32	15620	15860	240	4.25	1020	NAHARGARH
7	37	15860	16160	300	4.25	1275	
8	38	16160	16560	400	4.25	1700	
9	83	16560	17170	610	4.25	2592.5	
10	84	17170	17680	510	4.25	2167.5	
	TOTAL	13100	17680	4580	4.25	19465	

EXECUTIVE ENGINEER

PWD DIV, SHAHABAD

75 03' 00.00

75 03' 30.00

75 04' 00.00

25 18' 30.00

25 18' 00.00

25 18' 30.00

25 18' 00.00

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST
KHASRA NO.: 79, 81, 16, 244, 187, 232, 287, 33, 188, 201
Village: RANIPURA, Tehsil : SHAHABAD, Dist. BARAN

LAND FOR PROPOSAL NO. 40672 OF NEW CROSS
PROPOSED ROAD RANIPURA GATE TO RAHARAGH ROAD
ATA 3 893

BLOCK-1

Block No.	Area (Acres)	Area (Sq. Meters)
1	1.00	4046.86
2	1.00	4046.86
3	1.00	4046.86
4	1.00	4046.86
5	1.00	4046.86
6	1.00	4046.86
7	1.00	4046.86
8	1.00	4046.86
9	1.00	4046.86
10	1.00	4046.86

BLOCK-2

Block No.	Area (Acres)	Area (Sq. Meters)
1	1.00	4046.86
2	1.00	4046.86
3	1.00	4046.86
4	1.00	4046.86
5	1.00	4046.86
6	1.00	4046.86
7	1.00	4046.86
8	1.00	4046.86
9	1.00	4046.86
10	1.00	4046.86

BLOCK-3

Block No.	Area (Acres)	Area (Sq. Meters)
1	1.00	4046.86
2	1.00	4046.86
3	1.00	4046.86
4	1.00	4046.86
5	1.00	4046.86
6	1.00	4046.86
7	1.00	4046.86
8	1.00	4046.86
9	1.00	4046.86
10	1.00	4046.86

Block No.	Area (Acres)	Area (Sq. Meters)
1	1.00	4046.86
2	1.00	4046.86
3	1.00	4046.86
4	1.00	4046.86
5	1.00	4046.86
6	1.00	4046.86
7	1.00	4046.86
8	1.00	4046.86
9	1.00	4046.86
10	1.00	4046.86

Block No.	Area (Acres)	Area (Sq. Meters)
1	1.00	4046.86
2	1.00	4046.86
3	1.00	4046.86
4	1.00	4046.86
5	1.00	4046.86
6	1.00	4046.86
7	1.00	4046.86
8	1.00	4046.86
9	1.00	4046.86
10	1.00	4046.86

75 03' 00.00

75 03' 30.00

75 04' 00.00

25 18' 00.00

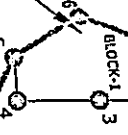
25 18' 30.00

25 18' 30.00

25 18' 00.00

LAND FOR PROPOSAL NO. 40677 OR NEW 290552
PROPOSED ROAD BHAWIPARA GRAM TO RHURDAGH ROAD
AREA-3.B03

LAYOUT PLAN OF ALTERNATE LAND FOR FOREST
KHASRA NO.: 79, 81, 16, 244, 187, 232, 287, 33, 188, 201
Village: RANIPURA, Tehsil : SHAHABAD, DIST. BARAN



BLOCK-1

SL. NO.	COORDINATE	EASTING	NORTHING
1	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
2	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
3	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
4	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
5	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
6	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N

BLOCK-2

SL. NO.	COORDINATE	EASTING	NORTHING
1	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
2	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
3	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
4	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N

BLOCK-3

SL. NO.	COORDINATE	EASTING	NORTHING
1	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
2	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
3	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N
4	79 07 11.00N	25 18 51.70E	25 18 51.70N

Sl. No.	Area (Sq. Meters)	Area (Acres)	Area (Hectares)
1	24110	9.96	2.41
2	24110	9.96	2.41
3	24110	9.96	2.41
4	24110	9.96	2.41
5	24110	9.96	2.41
6	24110	9.96	2.41
7	24110	9.96	2.41
8	24110	9.96	2.41
9	24110	9.96	2.41
10	24110	9.96	2.41
11	24110	9.96	2.41
12	24110	9.96	2.41
13	24110	9.96	2.41
14	24110	9.96	2.41
15	24110	9.96	2.41
16	24110	9.96	2.41
17	24110	9.96	2.41
18	24110	9.96	2.41
19	24110	9.96	2.41
20	24110	9.96	2.41
21	24110	9.96	2.41
22	24110	9.96	2.41
23	24110	9.96	2.41
24	24110	9.96	2.41
25	24110	9.96	2.41
26	24110	9.96	2.41
27	24110	9.96	2.41
28	24110	9.96	2.41
29	24110	9.96	2.41
30	24110	9.96	2.41
31	24110	9.96	2.41
32	24110	9.96	2.41
33	24110	9.96	2.41
34	24110	9.96	2.41
35	24110	9.96	2.41
36	24110	9.96	2.41
37	24110	9.96	2.41
38	24110	9.96	2.41
39	24110	9.96	2.41
40	24110	9.96	2.41
41	24110	9.96	2.41
42	24110	9.96	2.41
43	24110	9.96	2.41
44	24110	9.96	2.41
45	24110	9.96	2.41
46	24110	9.96	2.41
47	24110	9.96	2.41
48	24110	9.96	2.41
49	24110	9.96	2.41
50	24110	9.96	2.41
51	24110	9.96	2.41
52	24110	9.96	2.41
53	24110	9.96	2.41
54	24110	9.96	2.41
55	24110	9.96	2.41
56	24110	9.96	2.41
57	24110	9.96	2.41
58	24110	9.96	2.41
59	24110	9.96	2.41
60	24110	9.96	2.41
61	24110	9.96	2.41
62	24110	9.96	2.41
63	24110	9.96	2.41
64	24110	9.96	2.41
65	24110	9.96	2.41
66	24110	9.96	2.41
67	24110	9.96	2.41
68	24110	9.96	2.41
69	24110	9.96	2.41
70	24110	9.96	2.41
71	24110	9.96	2.41
72	24110	9.96	2.41
73	24110	9.96	2.41
74	24110	9.96	2.41
75	24110	9.96	2.41
76	24110	9.96	2.41
77	24110	9.96	2.41
78	24110	9.96	2.41
79	24110	9.96	2.41
80	24110	9.96	2.41
81	24110	9.96	2.41
82	24110	9.96	2.41
83	24110	9.96	2.41
84	24110	9.96	2.41
85	24110	9.96	2.41
86	24110	9.96	2.41
87	24110	9.96	2.41
88	24110	9.96	2.41
89	24110	9.96	2.41
90	24110	9.96	2.41
91	24110	9.96	2.41
92	24110	9.96	2.41
93	24110	9.96	2.41
94	24110	9.96	2.41
95	24110	9.96	2.41
96	24110	9.96	2.41
97	24110	9.96	2.41
98	24110	9.96	2.41
99	24110	9.96	2.41
100	24110	9.96	2.41

Sl. No.	Area (Sq. Meters)	Area (Acres)	Area (Hectares)
1	24110	9.96	2.41
2	24110	9.96	2.41
3	24110	9.96	2.41
4	24110	9.96	2.41
5	24110	9.96	2.41
6	24110	9.96	2.41
7	24110	9.96	2.41
8	24110	9.96	2.41
9	24110	9.96	2.41
10	24110	9.96	2.41
11	24110	9.96	2.41
12	24110	9.96	2.41
13	24110	9.96	2.41
14	24110	9.96	2.41
15	24110	9.96	2.41
16	24110	9.96	2.41
17	24110	9.96	2.41
18	24110	9.96	2.41
19	24110	9.96	2.41
20	24110	9.96	2.41
21	24110	9.96	2.41
22	24110	9.96	2.41
23	24110	9.96	2.41
24	24110	9.96	2.41
25	24110	9.96	2.41
26	24110	9.96	2.41
27	24110	9.96	2.41
28	24110	9.96	2.41
29	24110	9.96	2.41
30	24110	9.96	2.41
31	24110	9.96	2.41
32	24110	9.96	2.41
33	24110	9.96	2.41
34	24110	9.96	2.41
35	24110	9.96	2.41
36	24110	9.96	2.41
37	24110	9.96	2.41
38	24110	9.96	2.41
39	24110	9.96	2.41
40	24110	9.96	2.41
41	24110	9.96	2.41
42	24110	9.96	2.41
43	24110	9.96	2.41
44	24110	9.96	2.41
45	24110	9.96	2.41
46	24110	9.96	2.41
47	24110	9.96	2.41
48	24110	9.96	2.41
49	24110	9.96	2.41
50	24110	9.96	2.41
51	24110	9.96	2.41
52	24110	9.96	2.41
53	24110	9.96	2.41
54	24110	9.96	2.41
55	24110	9.96	2.41
56	24110	9.96	2.41
57	24110	9.96	2.41
58	24110	9.96	2.41
59	24110	9.96	2.41
60	24110	9.96	2.41
61	24110	9.96	2.41
62	24110	9.96	2.41
63	24110	9.96	2.41
64	24110	9.96	2.41
65	24110	9.96	2.41
66	24110	9.96	2.41
67	24110	9.96	2.41
68	24110	9.96	2.41
69	24110	9.96	2.41
70	24110	9.96	2.41
71	24110	9.96	2.41
72	24110	9.96	2.41
73	24110	9.96	2.41
74	24110	9.96	2.41
75	24110	9.96	2.41
76	24110	9.96	2.41
77	24110	9.96	2.41
78	24110	9.96	2.41
79	24110	9.96	2.41
80	24110	9.96	2.41
81	24110	9.96	2.41
82	24110	9.96	2.41
83	24110	9.96	2.41
84	24110	9.96	2.41
85	24110	9.96	2.41
86	24110	9.96	2.41
87	24110	9.96	2.41
88	24110	9.96	2.41
89	24110	9.96	2.41
90	24110	9.96	2.41
91	24110	9.96	2.41
92	24110	9.96	2.41
93	24110	9.96	2.41
94	24110	9.96	2.41
95	24110	9.96	2.41
96	24110	9.96	2.41
97	24110	9.96	2.41
98	24110	9.96	2.41
99	24110	9.96	2.41
100	24110	9.96	2.41

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2023 -24/8755 दिनांक 13-11-24
निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

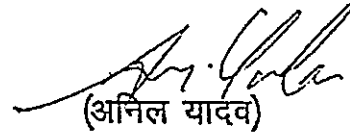
विषय :-कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558ha)

संदर्भ:- MOEF का पत्र दिनांक 30.10.2024 के कम में एवं आप द्वारा आनलाईन ई.डी.एस
दिनांक 7.11.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन हे कि MOEF के पत्र
दिनांक 15.02.2018 को जारी ई.डी.एस का जवाब इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8142 दिनांक
09.04.2018 को आपके कार्यालय को भिजवाया जा चुका है। इस कार्यालय स्तर प्रकरण लंबित नहीं
है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

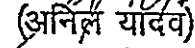


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024 -25/8756

दिनांक 13-11-24

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।



(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

OFFICE OF DY CONSERVATOR OF

BARAN

CHIEF CONSERVATOR OF FOREST KOTA

Topic of Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota-Dharanawada Road Km.
132/500 to 137/500
Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6979/2014

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the EDS Raised by forest Department for the Proposal as follows.

S.No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	Details of alternative examined have not been given	ENCLOSED
2	Layout plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not been provided\	ENCLOSED
3	Required no objection certificate is not provided	ENCLOSED
4	Violation of FCA Act has been reported & FIR has been lodged against contractor driver by ROF . However area of viloation has not been specified	ENCLOSED
5	Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal, whereas the road is claimed to be pre-existing. It nees clarification	ENCLOSED
6	As per DSS Analysis 1 ha. Only out of 13.56 ha. Proposed for CA is not found suitable. This may be reexamined	ENCLOSED

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारौ

DY CONSERVATOR OF FOREST
BARAN

कार्यालय उप वन संरक्षक बारां

क्रमांक:

दिनांक:

निमित्त

मुख्य वन संरक्षक

कोटा

विषय: प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/6979/2014 – कोटा से धर्नावदा रोड (KM 132/500 से 137/500) के प्रत्यावर्तन हेतु 13.558 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन संबंधी प्रस्ताव

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी का पत्र संख्या 3694-95, दिनांक 13.12.2024

2. आपका पत्र संख्या 7433, दिनांक 16.12.2024

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के संदर्भ में निवेदन है कि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) भारत सरकार द्वारा 15.02.2018 को EDS (प्रश्न) उठाया गया था, जिसका उत्तर इस कार्यालय द्वारा 09.04.2018 को आपके कार्यालय को भेज दिया गया था। तत्पश्चात, श्रीमान आपके कार्यालय द्वारा दिनांक 11.04.2018 को उत्तर नोडल ऑफिसर को भेज दिया गया, और फिर नोडल अधिकारी द्वारा 13.04.2018 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF) को जबाब भेजा गया। अतः, इस कार्यालय की ओर से किसी भी प्रकार की देरी नहीं हुई।

तत्पश्चात परियोजना से संबंधित सभी अनुपालन दस्तावेज (compliance documents) नोडल अधिकारी के पत्र संख्या 1991 दिनांक 22.07.2024 से विशिष्ट शासन सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य सरकार को द्वारा भेज दिए गए।

इसके अतिरिक्त, MoEF द्वारा दिनांक 30.10.2024 को परियोजना में देरी के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसका उत्तर इस कार्यालय द्वारा पहले ही 13.11.2024 को भेजा जा चुका है। अतः, इस कार्यालय की ओर से कोई लंबित कार्रवाई शेष नहीं है।

भवदीय

(अनिल यादव)

उप वन संरक्षक

Signature Not Verified



Digitally signed by Anil Kumar Yadav
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2025.02.02 19:11:10 IST
Reason: Approved

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2023 -24/8755 दिनांक 13-11-24
निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

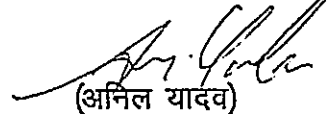
विषय :-कोटा से धरनावदा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6979/2014 (13.558ha)

संदर्भ:- MOEF का पत्र दिनांक 30.10.2024 के कम में एवं आप द्वारा आनलाईन ई.डी.एस
दिनांक 7.11.2024 के कम में।

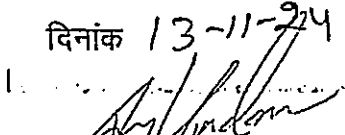
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन हे कि MOEF के पत्र
दिनांक 15.02.2018 को जारी ई.डी.एस का जवाब इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8142 दिनांक
09.04.2018 को आपके कार्यालय को भिजवाया जा चुका है। इस कार्यालय स्तर प्रकरण लंबित नहीं
है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2024 -25/8756 दिनांक 13-11-24
प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, FCA नोडल अधिकारी राज0 जयपुर।


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

D/ Kota to Dharanawada Road

8142
31/4/18
To,

OFFICE OF DY CONSERVATOR OF FOREST BARAN

CHEIF CONSERVATOR OF FOREST KOTA

Name of Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota-Dharanawada Road Km.
work: 132/500 to 137/500

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/6979/2014

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the EDS Raised by forest Department for the Proposal as follows.

S.No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	Details of alternative examined have not been given	ENCLOSED
2	Layout plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not been provided\	ENCLOSED
3	Required no objection certificate is not provided	ENCLOSED
4	Violation of FCA Act has been reported & FIR has been lodged against contractor driver by ROF . However area of viloation has not been specified	ENCLOSED
5	Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal, whereas the road is claimed to be pre-existing. It nees clarification	ENCLOSED
6	As per DSS Analysis 1 ha. Only out of 13.56 ha. Proposed for CA is not found suitable. This may be reexamined	ENCLOSED


राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारों

DY CONSERVATOR OF FOREST
BARAN



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ- 226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024. Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolko@gmail.com

पत्र सं० 8 बी/राज०/06/31/2015/एफ.सी. 1823

दिनांक: 15.02.2018

सेवा में,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
आत्मना इस्टीम्यूलेशन एरिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No.- FP/RAJ/ROAD/6979/2014

विषय: Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota- Dharanawada Road Km. 132/500 to 137/500

सन्दर्भ: अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक-
एफ14()/2015/एफसी0ए0/प्रमुवसं/595, दिनांक- 23.01.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के सामसंस्थक पत्र दिनांक-09.07.2015 द्वारा आवश्यक सूचना वाही गयी थी जिसको अधूरी अनुपालना आख्या अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर के उपरोक्त सदभित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें।

1. Details of alternative examined have not been given.
2. Layout plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not been provided.
3. Required no objection certificate is not provided.
4. Violation of FCA Act has been reported & FIR has been lodged against contractor- driver by ROF. However, area of violation has not been specified.
5. Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal, whereas the road is claimed to be pre-existing. It needs clarification.
6. As per DSS Analysis 1 ha. only out of 13.56 ha. proposed for CA is not found suitable. This may be reexamined.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव (वन) राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, वारा, राजस्थान।
3. अधिशारी अभियन्ता, सा० नि० नि०, खण्ड- छवड़ा, राजस्थान।
4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

15.02.18

OFFICE OF DY CONSERVATOR OF

BARAN

451 8142

13014-9-4

9-4-18

CHIEF CONSERVATOR OF FOREST KOTA

Name of: Diversion of 13.558 ha. of forest land for upgradation Kota-Dharanawada Road Km.
S. No.: 132/500 to 137/500
Proposal No.: FP/RJ/ROAD/6979/2014

Dear Sir,

With Due respect in reference of above mention subject. We Submitting the Reply for the EDS Raised by forest Department for the Proposal as follows.

S.No.	EDS Raised/Shortcomings in the proposal	Reply of EDS
1	Details of alternative examined have not been given	ENCLOSED
2	Layout plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not been provided	ENCLOSED
3	Required no objection certificate is not provided	ENCLOSED
4	Violation of FCA Act has been reported & FIR has been lodged against contractor driver by ROF. However area of viloation has not been specified	ENCLOSED
5	Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal, whereas the road is claimed to be pre-existing. It nees clarification	ENCLOSED
6	As per DSS Analysis 1 ha. Only out of 13.56 ha. Proposed for CA is not found suitable. This may be reexamined	ENCLOSED

राजीव कपूर
उप वन संरक्षक
बारौ

DY CONSERVATOR OF FOREST
BARAN

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2018/२७७८ दिनांक : ११-४-१८
निमित्त,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राज० जयपुर।

विषय:- डायवर्जन ऑफ 13.558 है० ऑफ फोरेस्ट लैण्ड फोर अपग्रेडेशन कोटा
धरनावदा रोड़ किमी. 132/500 टू 137/500

प्रसंग:- आपका पत्रांक एफ 14() 2014/एफसीए/प्रमुवसं/1414 दिनांक
16.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अलीगंज लखनऊ के पत्र संख्या 8 बी/राज०/06/31/2015/एफसी/823 दिनांक 15.02.2018 में उल्लेखित बिन्दुओं की वांछित सूचना उप वन संरक्षक बारां ने पत्र संख्या 8142 दिनांक 09.04.2018 से पूर्ति कर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की है जो परीक्षण उपरान्त अनुपालना रिपोर्ट अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु ऑनलाईन व ऑफलाईन (हार्ड कॉपी) में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- अनुपालना रिपोर्ट-3 सेट।

भवदीय

(इन्द्राज सिंह)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2018/२७७९ दिनांक : ११-४-१८

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक बारां को उनके उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(इन्द्राज सिंह)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कोटा

6	As per DSS analysis 1 ha only out of 13.56 ha. proposed for CA is not found suitable. This may be reexamined.	As per DCF suitability certificate, 1100 plant (as per model of Rajasthan) can be planted on the proposed non forest land. The proposed non forest land is suitable for planting.
---	---	---

Enclosed: As above

Your's sincerely

Sd

(A.K. Singh)

APCCF Protection &

Nodal Officer FCA

Rajasthan, Jaipur

Tel: 0141-2713760 M - 9414045146

Date: 12.4.18

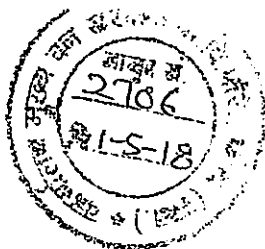
F 14()/2017/FCA/PCCF/
Copy forwarded for:

1035-38

- 1- Secretary (Forest), Government of Rajasthan, Jaipur.
- ✓ 2- Chief Conservator of Forest, Kota
- 3- Deputy Conservator of Forest, Baran.
- 4- Executive Engineer, PWD, Chabra (Baran), Rajasthan

[Signature]

APCCF Protection &
Nodal Officer FCA
Rajasthan, Jaipur



FCA

[Signature]

30/4/2018

[Signature]
30-4-18

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

, Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2018-19/

दिनांक

निमित्त:-

अधिकासी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड छबडा

विषय:- Diversion of 13.558 ha- of Forest land for upgradation
of kota dharnawada Road In Baran Forest
Division.

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) के पत्र क्रमांक 58 दिनांक 23.04.
2018 एवं क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 18.04.
2018 की कार्यवाही के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण का MOEF द्वारा
विश्लेषण करने पर प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर टिप्पणी चाही गई।

A I.II. आपके द्वारा वैकल्पिक मार्ग का जस्टिफिकेशन दिया गया था की इसमें ज्यादा
वन भूमि की आवश्यकता होगी परन्तु यह जस्टिफिकेशन बिना गणना के
होने से स्वीकार नहीं किया गया था अतः दिनांक 30.5.18 की मिति की
हुई वार्ता के अनुसार वन भूमि का Quantification कर तत्काल प्रस्तुत
करे।

B.II आपके द्वारा जमीन की रिकवायरमेंट 18मी चौड़ाई में बताई गई थी जबकी
आवश्यकता अलग - अलग चैनल से 7.13मी से 29मी तक बताई गई है
अतः दिनांक 30.5.18 की मिति की हुई वार्ता के अनुसार रिपोर्ट तत्काल
प्रस्तुत करें।

D .III. गेवल रोड 1975 में बताया गया है एवं बिटुमिन रोड 1984 में होना
बताया गया है अतः घटनाओं की क्रोनोलोजी की दिनांक प्रस्तुत करें।

F I .II पुरे वन क्षेत्र को डायवर्जन प्रस्ताव में शामिल किया गया है जबकी रोड पूर्व
प्रचलित बताया गया है अतः स्थिति स्पष्ट की जानी है।

कृपया इसके अतिरिक्त causative factors सम्पूर्ण घटनाओं की chronology
(संलग्न प्रपत्रनुसार) प्रस्तुत करें। ताकी प्रकरण का निराकरण किया जा सके।

भवदीय

उप वन संरक्षक
बारां

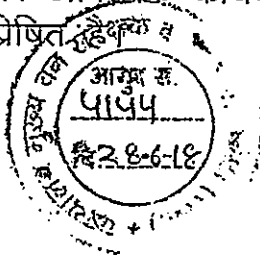
क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2018-19/ 11275-77

दिनांक 22/6/18

1 संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

2 जिला कलक्टर, बारां को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. बारां।



उप वन संरक्षक
बारां

D:\FCA Latter 2015-16\FCA Latter 2015-16.docx

FCA

22.6.2018

Chronology

कार्य का नाम:—Widening with raising and strengthening to two lane with geometric improvement and construction/ reconstruction of C.D. work from km 0/0 to km 5/0, km 11/0 to km 31/0, km 50/0 to km 51/0, km 57/0 to km 59/100 and km 64/250 to km 88/500 on N.H.-90 (Baran-Atru-Chhipabarod -Aklera road)" in Rajasthan state under Special Project Scheme. (Job No. 90/RJ/2009-10/06 & 113/RJ/2010/722)

1. उक्त कार्य हेतु 12208.41 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उनके पत्र क्रमांक RW/NH-12014/5/2009/SP(RAJ)/P-9 dated 15.03.2010 जारी की गयी थी। जिसमें 52.35 किमी लम्बाई में 3.00मी. से 7.00 मीटर चौड़ाईकरण व बाईपास का निर्माण तथा आवश्यक सी.डी. वर्क्स का कार्य प्रस्तावित थे।
2. उक्त कार्य इस खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमांक 638 दिनांक 28.12.2011 द्वारा मैसर्स गावर कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड को आवंटित किया गया। जिसकी कार्यादेश राशि 84,57,92,302/- रु थी। कार्य की प्रारम्भ की तिथि 07.01.2012 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 06.10.2013 नियत थी।
3. उक्त सड़क के किमी 64/250 से 88/500 के मध्य वन भूमि क्षेत्र स्थित होने के कारण मण्डल वन अधिकारी वारां के पत्रांक F() FCA/मवअ/11-12/8574 दिनांक 05.09.2011 द्वारा चाहे गये दस्तावेज इस कार्यालय के पत्रांक 419 दिनांक 16.09.2011 एवं 487 दिनांक 05.09.2012 को मण्डल वन अधिकारी वारां को प्रस्तुत किये गये।
4. किमी 64/250 से 88/500 के मध्य किमी 72/080 से 72/680 (बरडावदा घाटी) तथा 78/750 से 79/050 (सारथल घाटी) (कुल लम्बाई 900 मीटर) के अलावा शेष कार्य पूर्ण कर दिया गया है। उक्त दोनों घाटियों में श्रीमान मण्डल वन अधिकारी के पत्रांक 7317 दिनांक 07.06.2013 के द्वारा कार्य बन्द करवा दिया गया था।
5. मण्डल वन अधिकारी द्वारा कार्य बन्द करवाने के बाद विभाग द्वारा पुनः पत्रांक 221 दिनांक 04.07.2013 के द्वारा चाहे गये दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।
6. विभाग के उपरोक्त प्रतिउत्तर को वन विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया एवं उपवन संरक्षक वारां के पत्रांक FCA/उ.व.स./13-14/9513 दिनांक 30.07.2013 के द्वारा अधिशाषी अभियन्ता श्री एम.के.दीक्षित के विरुद्ध वन अपराध का मुकदमा दर्ज कर वन भूमि के उपयोग हेतु प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में चाहे गये।
7. सड़क अपग्रेडेशन में आ रही वन विभाग की अतिरिक्त भूमि के प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 284 दिनांक 23.06.2014 द्वारा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर को प्रस्तुत किये गये थे। उक्त प्रस्तावों पर श्रीमान अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 5767 दिनांक 10.07.2014 द्वारा आक्षेपित किये जाने एवं तदुपरान्त ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्राप्त होने पर प्रस्ताव दिनांक 15.01.2015 को ऑनलाईन किये गये। (Proposal No. FP/RJ/ROAD/6969/2014)
8. वारां-अकलेरा वाया कवाई-अटरू-छीपाबडौद-सारथल सड़क का निर्माण वर्ष 1980 से पूर्व का है। विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त चैनेज में अतिरिक्त भूमि के प्रस्तावों में स्थित सड़क पर वन विभाग का मौके पर कोई फोरेस्ट बाउन्ड्री का डिमार्केशन, मुड्रियॉ नहीं होने के कारण वन विभाग की सीमा के ज्ञान के अभाव में प्रस्ताव पूर्व में प्रस्तुत नहीं किये जा सकें।
9. वन विभाग द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 3-26 दिनांक 01.06.2013 के प्रकरण में समझौता राशि 100000/- रसीद क्रमांक 243 दिनांक 14.02.2017 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी छीपाबडौद में जमा करवाकर केस शान्त हेतु निवेदन कर दिया गया था।
10. यदि वन विभाग भविष्य में उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई पेनेल्टी आरोपित करता है तो विभाग द्वारा नियमानुसार उक्त राशि जमा करवा दी जावेगी।

[Signature]
RE

[Signature]
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. रा.उ. मार्ग खण्ड झालावाड

Causative factors:-

1. Sanction of this work is issued on dated 15-03-2010 by Ministry of Road Transport & Highway New Delhi vide letter No. RW/NH-12014/5/2009/SP(RAJ)/P-9 dated 15.03.2010.
2. Work order for Road construction of Baran-Aklara road NH-90 issued on dated 28-11-2011 vide this office letter No. 638 dated 28-12-2011 and work started on dated 07-01-2012.
3. Baran-Aklara via Kawai-Atru-Chhipabarod-Sarthal road is existed before year 1980. Proposals for permission is not applied that time due to no demarcation, muddies in km 72/080 to 72/680 and 78/750 to 79/050 by Forest Department.
4. Work has been stopped by Forest Department vide DFO letter No. 7317 dated 07-06-2013, then necessary survey has done for apply to Forest Permission.
5. Proposals for Forest permission applied on line on dated 15-01-2015.

[Signature]

[Signature]
Executive Engineer
PWD NH Dn, Jhalawar

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

स्मरण पत्र

Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2018-19/
निमित्त:-

दिनांक

अधिशाली अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड छबडा

विषय:- Diversion of 13.558 ha- of Forest land for upgradation
of kota dharnawada Road In Baran Forest
Division.

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 11274 दिनांक 22.6.18 के
क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे इस
पत्र में वांछित सूचना भिजवाने हेतु निवेदन किया गया था परन्तु आज दिनांक तक सूचना
अप्राप्त है। उपरोक्त वांछित सूचना आज ही भिजवाना सुनिश्चित करे ताकी सूचना उच्च
कार्यालय को अग्रेषित की जा सके। सूचना के अभाव में प्रकरण में यदि देर होती है तो
इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

भवदीय

54/
उप वन संरक्षक
बारा

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2018-19/ 12549-52 दिनांक 4/7/18

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
(एफ सी ए) वन विभाग अरण्य भवन जयपुर
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
3. जिला कलक्टर, बारा को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. खण्ड छबडा बारा को सूचनार्थ प्रेषित है।



उप वन संरक्षक
बारा

FCA

मा. 10/7/2018

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-def.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230244

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/18-19/ 1556
निमित्त:-

दिनांक :- 14/2/19

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा ।



विषय :- Diversion of 13.558ha of forest land for upgradation kota -
Dharanawada Road प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/6979/2014 And
संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय
कार्यालय (मध्य) के पत्र क्रमांक 58 दिनांक 23.04.2018 एवं
क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक दिनांक 18.04.2018 की कार्यवाही
के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त प्रकरण में MOEF की
(आर.ई.सी. एजेण्डा आइटम 27.9-एफ की बैठक दिनांक 18.4.2018 की कार्यवाही के द्वारा
विश्लेषण करने पर प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर लगाये गये आक्षेपों की इस कार्यालय एवं
यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित की गई है :-

क्र.सं.	EDS Raised/ in REC Meeting dated 27.3.2018	Reply of EDS
a	Details of Alternative Examined have not been given . (ii)The justification is without quantification of area other alternatives.	यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है इस मार्ग के बाईं ओर कोई भी वैकल्पिक मार्ग लेने पर राजस्थान सीमा तक वन भूमि आती है तथा इस मार्ग के दायाँ ओर छबड़ा से धरनावदा जाने के लिए हिंगलोट पाली फलीया फाटक होते हुए धरनावदा पहुँचा जा सकता है इसके लिये करीब 17 कि.मी दूरी तय करनी पड़ेगी। उक्त मार्ग में गणनानुसार वन भूमि 17. 28 हैक्टर आएगी जो कि 13.56 हैक्टर से काफी अधिक है। (संलग्न नक्शा)
b.	Layout Plan and cross section showing the forest area requirement and area calculation has not provided . (ii) As per cross section attached at 8-c /3 the Requirement is of 18 mts width whereas area calculation sheet shows average width requirement varying from 7.13mts to 29 mts at different chainage of road .	यूजर एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि यद्यपि निर्माण कार्य 18मी चौड़ाई में किया गया है किन्तु उक्त सड़क स्टेट हाईवे होने के कारण IRC- 73 के अनुसार minimum road land width 30मी. होनी आवश्यक है अतः भविष्य की प्लानिंग, पौधारोपण व IRC की गाइड लाइन के अनुरूप 30 मीटर की चौड़ाई में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं संलग्न IRC-73 की प्रति।

d;	Violation of FCA Act has been reported & FIR has been Lodged against contractor driver by ROF .However area of violation has not been speacified .	
	(i) Extent violation (4.0ha) has been provided at 8-c\11. the document is a scanned copy .the extent of violation includes only recent work of 5mts on both sides for 4kms.	उक्त प्रकरण मे स्टेट हाईवे के 4की.मी लम्बाई मे 5-5मी दोनो तरफ कुल 4 हैक्टेयर मे से सडक चौडाईकरण का कार्य वन क्षेत्र मे किया जा चुका है जिसकी FIR-N.7-82 दिनांक 27.9.213 एवं खजना न:43-28 दिनांक 3.10.2013 से दर्ज किया जाकर 62000रुपये जुर्माना वसूल कर अपराध शमन किया गया। जिसमें वन अपराध दर्ज करते समय 0.29 हैक्टर का उल्लंघन पाया गया था।
	(ii) Issue of violation of FCA needs to be dealt as per latest guidelines of MOEF &cc issued on 29 January 2018 .provision contained on page 2 at A(i) regarding cases" wher the proposal under FCAct has not been submitted and forest land is diverted without FC" shall be delat as per provision contained in sub section (i) & (ii) in this case the violation is of 2013 as per part ii filled by DFO and timeline shows submission of proposal by user agency on 8 May 2015.	MOEF &cc के 29 January 2018 के परिपत्र के आधार पर प्रयोक्ता अभिकरण से शास्ति 947263/- लाख आरोपित की गई है। और राशि जमा कराने एवं अन्य शर्तों की पालना हेतु User agency को पत्र लिखा जा चुका है।
	(iii) Date of violation in this case is Confusing because few other dates are Mentioned in report at 8 /c-1 like constr uctoin of graven road in 1975 application bitumen / tar in 1984-85 therefor the issue the issue requires a self contained note duly providing chronology details of officials actual extent with dates copy of work related documents ets.	self contained note संलग्न किया जा रहा है। जिसमें क्रोनोलोजी व पदस्थापित अधिकारियों का विवरण व वर्क ऑर्डर की प्रति एवं कोन्ट्रेक्टर डाक्यूमेन्ट की प्रति संलग्न कर दी गई है।

e	Entire area falling under forest proposed for construction has been included in diversion proposal .whereas the road is claimed to be pre-existing .it nees clarification .	
	(ii) Extent violation will vary as per this reply which will require inclusion of all constructed area .	यद्यपि सडक 1 लेन सडक का निर्माण 1988 में किया गया था किन्तु 2013 में उक्त सडक का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य किया जाना था। इस हेतु सडक का पूरा एरिया डायवर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।
f	(ii) As per DSS Analysis 1ha . Only out of 13.56 ha .proposed for CA is not Found Suitable . this may be reexamined .	DSS विश्लेषण के अनुसार 13.56 है० मे से 12.56है०क्षेत्र ही NFL हेतु अनुकूल पाया गया है। उसी अनुसार 12.56है०का NFL प्लान संलग्न कर दिया गया है (Annex-1) एक है० भूमि वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त पाये जाने के कारण MOEF &CC के परिपत्र अनुसार अवशेष भूमि 1है० पर लगाये जाने वाले 1100 पौधे परिभ्रांषित वन भूमि 1.57हैक्टेयर पर लगाये जायेगे जिसका विस्तृत प्लान(Annex-2) संलग्न है। एव KML file भी संलग्न कर दी गयी है।

अतः रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक

बारां

कमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/18-19/

दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा।

(राजीव कपूर)

उप वन संरक्षक

बारां

Full Title of the project ; Kota to Dharnawada Road Project in Baran District.
 Details of Aforestation scheme on Degraded forest land
 File no;FP\RJ\ROAD\6979\2014
 Date of proposal 08.01.2015

Detail of year wise break up of requirements of funds is as under :-

Sr.No.	Year	Area in Ha.	Rate/ ha	Amount
1	0th year	12.558	41708	523769
2	1st year	12.558	49201	617866
3	2nd year	12.558	14130	177445
4	3rd year	12.558	4367	54840.8
5	4th year	12.558	4367	54840.8
6	5th year	12.558	4367	54840.8
7	6th year	12.558	4367	54840.8
8	7th year	12.558	4367	54840.8
9	8th year	12.558	4367	54840.8
10	9th year	12.558	4367	54840.8
11	10th year	12.558	4367	54840.8
12	11th year	12.558	4367	54840.8
13	12th year	12.558	4367	54840.8
	Total		148709	1867487.62
	Administrative charges 10%		14871	186748.76
	Total		163580	2054236.38
		12.558x163580	2054236.38	

3 Technical details :

Technical details of Compensatory Afforestation Scheme are as follows :-

a)General Details 700 plants will be planted per hectare (forest block kishanganj)

b)Spacing : 4x3m

c)Species: Local broad leaves species will be planted.

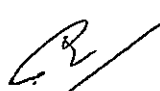
d)Plantation Method: Digging pit of size 45x45x45cm and planting plants raised in near by nursery .

e)Soil and Moisture Conservation Works: Contour trenches ,contour dykes, treatment of nallahs by constructing series of checkdam.

f)Protection (Fencing, Watch Man, People's Participation etc.) :-Area will be fenced and protected by providing choukidar and taking help of VFPMC .

g)Proposed Monitoring Mechanism: Plantation will be monitored by various level Forest Officers and planning and monitoring team of circle and state level team

Any other information :-


 Dy. CONSERVATOR OF FOREST
 BARAN

Full Title of the project ; Kota to Dharnawada Road Project in Baran District.
 Details of Aforestation scheme on Degraded forest land
 File no;FP\RJ\ROAD\6979\2014
 Date of proposal 08.01.2015

Detail of year wise break up of requirements of funds is as under :-

Sr.No.	Year	Area in Ha.	Rate/ ha	Amount
1	0th year	1	34858	34858
2	1st year	1	32191	32191
3	2nd year	1	10156	10156
4	3rd year	1	4671	4671
5	4th year	1	4671	4671
6	5th year	1	4671	4671
7	6th year	1	4671	4671
8	7th year	1	4671	4671
9	8th year	1	4671	4671
10	9th year	1	4671	4671
11	10th year	1	4671	4671
12	11th year	1	4671	4671
13	12th year	1	4671	4671
	Total		123916	123916
	Administrative charges 10%		12392	12392
	Total		136308	136308
		1x136308	136308	

3. Technical details :

Technical details of Compensatory Afforestation Scheme are as follows :-

a) General Details 700 plants will be planted per hectare (forest block kishanganj)

b) Spacing : 4x3m

c) Species: Local broad leaves species will be planted.

d) Plantation Method: Digging pit of size 45x45x45cm and planting plants raised in near by nursery .

e) Soil and Moisture Conservation Works: Contour trenches ,contour dykes, treatment of nallahs by constructing series of checkdam.

f) Protection (Fencing, Watch Man, People's Participation etc.) :-Area will be fenced and protected by providing choukidar and taking help of VFPMC .

g) Proposed Monitoring Mechanism: Plantation will be monitored by various level Forest Officers and planning and monitoring team of circle and state level team

Any other information :-


 Dy. CONSERVATOR OF FOREST
 BARAN